संख्या- 47 /2025/ 320 /चार-2025-1892717

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2025**

विषय:- असम सरकार द्वारा गुवाहाटी में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस - 2025 मनाये जाने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कलाकारों को असम भेज कर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने एवं वीडियो वृत्तचित्र तैयार कराने पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4965/सं0नि0-15(86)/2023-24, दिनांक 20 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा असम सरकार द्वारा गुवाहाटी में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस- 2025 मनाये जाने पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रू0 7.76 लाख के व्यय-विवरण सहित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि असम सरकार द्वारा गुवाहाटी में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस- 2025 मनाये जाने के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कलाकारों को असम भेज कर निम्नलिखित विवरणानुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने एवं वीडियो वृत्तचित्र तैयार कराने पर होने वाले व्यय रू0 7.76 लाख (रू0 सात लाख छिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	कलाकार दल/ कार्य	कलाकारों की सं0	कार्यक्रम / कार्य	मानदेय	यात्रा भत्ता	भोजन भत्ता	कुल योग
1	सुश्री वन्दना श्री, मथुरा	16	मयूर रास, फूलों की होली	1,26,000.00 (02 दिवस)	1,44,000.00 (9000 x 16)	16,000.00 (1000 x 16)	2,86,000.00
2	सुश्री स्मृति शाही, गोरखपुर	08	लोकनृत्य	70,000.00 (02 दिवस)	48,000.00 (6000 x 8)	8,000.00 (1000 x 8)	1,26,000.00
3	सुश्री सुभांगी सिंह, वाराणसी	07	कथक नृत्य (महाकुम्भ पर आधारित)	70,000.00 (02 दिवस)	42,000.00 (6000 x 7)	7,000.00 (1000 x 7)	1,19,000.00
4	श्री गौरव प्रसाद, गोरखपुर	05	उ0प्र0 लोक एवं सुगम गायन	70,000.00 (02 दिवस)	30,000.00 (6000 x 5)	5,000.00 (1000 x 5)	1,05,000.00
5	प्रदेश की संस्कृति विषयक लघु फिल्म/ साफ्ट कापी प्रदर्शनी आदि	लगभग 05 मिनट	-	-	-	-	1,40,000.00
	योग (रूपये सात लाख छिहत्तर हजार मात्र)						7,76,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध -

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले लोक कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।
(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(7) संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- 24-एक भारत श्रेष्ठ भारत-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 47 /2025 / 320 (1)/चार-2025-1892717 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।